

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्यें, राज0जयपुर**  
 क्रमांक:- ई-12/एम/नियु0/2017/892 दिनांक 14/11/17

**आदेश**

निदेशालय द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पद पर उनके नाम के सम्मुख पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्न आश्रितों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा नियत 12400/-रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से लेवल इन पे-मेट्रिक्स एल-1 अनुज्ञात किया जावेगा :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदक की जन्मतिथि	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	पद जिसपर नियुक्ति दी जा रही है	पदस्थापन स्थान	संबंधित अधि. द्वारा नियु. हेतु दी गई अभिशंषा का क्र. दि०
1	श्री दिनेश कुमार सैनी पुत्र स्व० श्री हरसहाय, च०श्रे०कर्म०, निवासी- जमालपुरिया की ढाणी, अमरसर, जिला- जयपुर ।	3.2.1989	कक्षा-8 उत्तीर्ण	च०श्रे०कर्म०	निदेशालय, मुख्यालय ।	218 दिनांक 6.6.2017
2	श्री शंकर लाल मीणा पुत्र स्व० श्री लालाराम मीणा, च०श्रे०कर्मवारी, निवासी- गांव- डयोडा डूंगर, पोस्ट- मानोता, तहसील- जमवारामगढ, जिला- जयपुर ।	13.9.1985	कक्षा-8 उत्तीर्ण	च०श्रे०कर्म०	निदेशालय, मुख्यालय ।	2300 दिनांक 28.6.2017
3	श्री संजय बोर्दिया पुत्र स्व० श्री महेन्द्र कुमार, वाशरमेन, निवासी- 26, रामद्वारा चौक धोली बावडी के पास, उदयपुर ।	8.2.1997	कक्षा-8 उत्तीर्ण	च०श्रे०कर्म०	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर ।	83 दिनांक 1.8.2017

4	श्री संजय कुमार वाल्मिकी पुत्र स्व० श्री मोहन लाल, स्वीपर, निवासी- मु.पो.- भौनावास, वाया- पावटा, तहसील- कोटपूतली, जिला- जयपुर ।	8.8.1989	कक्षा-8 उत्तीर्ण	स्वीपर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम के अधीन	149 दिनांक 30.5.2017
5	श्री विजय राणावत पुत्र स्व० श्रीमति सरोज देवी, स्वीपर, निवासी- म.नं. 220, बक्सावाला, साँगानेर, जयपुर ।	25.3.1991	कक्षा-8 उत्तीर्ण	स्वीपर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय के अधीन	एस पी-2 दिनांक 2.8.2017
6	श्री राजेन्द्र होटला पुत्र स्व० श्रीमति कान्ता देवी, रसोई सहायक, निवासी- रामसिंह रोड, शिवाजी मार्ग, डिग्गी हाउस, जयपुर ।	22.6.1980	कक्षा-10 अनुत्तीर्ण	च०श्रे०कर्म०	अधीक्षक, एस.एम. एस. चिकित्सालय, जयपुर ।	6381 दिनांक 13.6.2017

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत उक्त आवेदकों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदकों का नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाये। परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान च०श्रे० कर्मचारी सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो इनके कोई रिश्तेदार न हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय अग्रस्थित अधिकारी को अपनी सेवा में नवीन नियुक्त कर्मचारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जायेगा।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.1.04 एवं समसंख्याक मेमोरेण्डम दिनांक 27.3.04 के अन्तर्गत उक्त आवेदकों पर अंशदायी पेंशन योजना परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।


राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 27.2.2001 के अन्तर्गत उक्त आवेदक अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करेंगे। नियुक्ति के तत्पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त आवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में संबंधित मु.चि.एवं स्वा.अधि./प्रमुख चिकि. अधि./निदेशक,आर.आर.सी./आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

(3)

आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(2)एफडी/नियम/06 दिनांक 13.3.06, क्रमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.3.06 क्रमांक एफ.012(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.3.06 एवं कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0(1)कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.16 के प्रावधानों से शासित होगी।

  
(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- ई-12/एम/नियु०/2017/892

दिनांक 14/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज० जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज० जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज० जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन.....।
- 7- संबंधित अधीक्षक, चिकित्सालय...../मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि आवेदक का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये। नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं (रजिस्टर्ड पत्र)।
- 8- प्रभारी, सर्वर रूम, क्र.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 9- संबंधित शासक, जयपुर, मुख्यालय।
- 10- संबंधित आश्रित श्री.....
- 11- आदेश/निजी पत्रावली।



अति० निदेशक (प्रशा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।